

॥ कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ नीलामी की सूचना ॥

जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में सायकल/स्कूटर स्टेण्ड एवं कार पार्किंग की व्यवस्था हेतु नीलामी द्वारा वर्ष 2018-19 में अनुबंध होने की दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु ठेका दिया जा रहा है। इस हेतु खुली नीलामी जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में नजारत अनुभाग शिवपुरी के प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में दिनांक 20.06.18 से साय 03:00 से 05:00 बजे तक अंतिम बोली प्राप्त होने तक प्रति कार्य दिवस में जिला नाजिर के द्वारा सम्पन्न की जावेगी, जो व्यक्ति न्यायालय परिसर शिवपुरी में निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अंतर्गत सायकल स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक हों, वे नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार हैं -

- 1- नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीकर्ता को दिनांक 02.06.18 से कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 20.06.18 को दोपहर 12:00 बजे तक धरोहर की राशि रु 5000/- जिला नाजिर के पास जमा करानी होगी। जो बोली में भाग लेने की पूर्व शर्त होगी।
- 2- बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि अंतिम बोली स्वीकार न होने की स्थिति में नीलामी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित जमाकर्ताओं को लौटा दी जावेगी। सफल बोलीकर्ता की धरोहर राशि सुरक्षा निधि के रूप में ठेके की पूरी अवधि तक जमा रखी जावेगी।
- 3- बोलीकर्ता को बोली प्रारंभ होने के पूर्व अपने मामले में यह शपथपत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण शिवपुरी न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में लंबित नहीं है और उसे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।
- 4- जिस बोलीकर्ता की अंतिम बोली स्वीकार की जावेगी उसे अंतिम बोली की राशि की त्रैमासिक किश्त भी देयता के आधार पर शेष राशि के रूप में अनिवार्यतः जमा करानी होगी।
- 5- सायकल स्टेण्ड का संचालन व रखरखाव उचित रूप से किया जावेगा एवं शिकायत नहीं पाई जावेगी तो जिला न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन से आगामी वर्ष हेतु 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर बोलीकर्ता को आगामी वर्ष के लिए पुनः संचालन हेतु दे सकेंगे।
- 6- प्रथम किश्त अनुबंध निष्पादन के पूर्व अथवा बोली दिनांक के 15 दिवस में जो भी पहले हो, अनिवार्यतः नजारत अनुविभाग में जमा करवाना होगी और तत्पश्चात् द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रत्येक तीन माह के पश्चात् और अग्रेजी माह की 15 तारीख को पूर्व नजारत अनुभाग में अनिवार्यतः जमा करानी होगी।
- 7- सायकल स्टेण्ड के संचालनकर्ता सायकल/दो पहिया/चार पहिया वाहन, न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखे जाने हेतु जिम्मेदार रहेंगे।
- 8- सायकल स्टेण्ड का शुल्क सायकल-2/-रूपये, स्कूटर/मोटरसायकल दो पहिया वाहन-5/- रूपये तथा चार पहिया वाहन-10/-रूपये प्रतिदिन की दर से वसूल किया जावेगा। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकेंगा।

